

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत उल्लिखित दस्तावेजों की सूची
LIST OF DOCUMENTS UNDER SECTION 3(3) OF OFFICIAL LANGUAGE ACT, 1963

क्रम सं. Sl.No.	दस्तावेज का नाम Name of the document
1.	संकल्प / Resolutions.
2.	साधारण आदेश / General Orders.
3.	नियम / Rules.
4.	अधिसूचनाएँ / Notifications.
5.	प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टें Administrative & other Reports.
6.	प्रेस विज्ञप्तियाँ / Press Communiqués.
7.	संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें। Administrative and other reports to be laid before a House or the Houses of Parliament.
8.	संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे जाने वाले राजकीय कागज़पत्र। Official papers to be laid before a House or the Houses of Parliament.
9.	संविदाएँ / Contracts.
10.	करार / Agreements.
11.	अनुज्ञप्तियाँ / Licenses.
12.	अनुज्ञापत्र / Permits.
13.	निविदा सूचनाएँ / Tender Notices.
14.	निविदा प्रारूप / Tender Forms.

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसार सामान्य आदेश में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

- (1) ऐसे सभी आदेश, निर्णय या अनुदेश जो विभागीय प्रयोग के लिए हों और जो स्थायी प्रकार के हों;
- (2) ऐसे सभी आदेश, अनुदेश, पत्र, ज्ञापन, नोटिस आदि जो सरकारी कर्मचारियों के समूह अथवा समूहों के संबंध में हों या उनके लिए हों;
- (3) ऐसे सभी परिपत्र जो विभागीय प्रयोग के लिए हों या सरकारी कर्मचारियों के लिए हों।

As per Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 the following are covered in general orders:-

- (1) all orders, decisions or instructions intended for departmental use and which are of standing nature;
- (2) all such orders, instructions, letters, Memoranda, Notices, etc. related to or intended for group or groups of Government employees;
- (3) all circulars whether intended for departmental use or for Government employees.